

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के नियम 136 के अन्तर्गत)

प्रकाशन नं० के सं०-2021

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

राजस्व ग्राम <u>जयपुर</u> पंचायत <u>आबूरोड</u> मू०अ०नि०पुस्तक <u>42/2/26</u> तहसील <u>आबूरोड</u>						
क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
94/26	1	375	किला 4	4-1033 श्रीमा पुत्र रामा	जुलाराम पुत्र रामा	
95/26	2	74	किला 3	1-5428 माया पुत्र श्री	माधुराम पुत्र श्री	
96/26	3	353	किला 1	1-3919 पुराण पुत्र काल	पूनमाराम पुत्र काल	
97/26	4	235	किला 2	4-3752 खेला (रावल) जाति पूर्वका निम्ना (रावल) जाति पूर्वका	खेला (रावल) जाति रेवरी निम्ना (रावल) जाति रेवरी	
	5			58/26 खाराम/रावल जाति पूर्वका	खाराम/रावल जाति रेवरी	
	6			99/26 सोही/पीराराम जाति पूर्वका	सोही/पीराराम जाति रेवरी	
	7			100/26 सोही/पीराराम जाति पूर्वका	सोही/पीराराम जाति रेवरी	
<p>मुताबिक मिसल/जमाबंदी संवत् _____ के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के सम्मल श्रवण योग्य है।</p>				<p>साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।</p>	<p>प०हत्का <u>आबूरोड</u> मू०अ०नि० <u>42/2/26</u> की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण बन्दोबस्त सक्रियताओं के दौरान/पूर्ण का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है।</p>	<p>प०हत्का <u>आबूरोड</u> मू०अ०नि० <u>42/2/26</u> राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हात जमाबंदी में अमल किया जावे।</p>
दिनांक <u>26/2/26</u>				ह० म०अ०नि० प०हत्का <u>आबूरोड</u> दिनांक <u>26/2/26</u>	ह० म०अ०नि० प०हत्का <u>आबूरोड</u> दिनांक <u>26/2/26</u>	ह० उपखण्ड अधिकारी सहायक कलेक्टर दिनांक <u>26/2/26</u>

तहसीलदार(मू०अ०)आबूरोड आबूरोड (सिरोही)